भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 274
22 जुलाई, 2025 को उत्तर के लिए

अवैध मछली पालन

274. कैप्टन विरयाटो फर्नांडीस :

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोवा में अवैध मछली पालन के कारण तटबंध टूटने और 13,000 हेक्टेयर से अधिक खजन भूमि में बाढ़ आने का ब्यौरा क्या है, क्या सरकार द्वारा कब तक खजन बोर्ड को सक्रिय करने, पुनर्स्थापना निधि को आरक्षित करने और अपराधियों पर मुकदमा चलाने का विचार है;

(ख) क्या सरकार ने लागत वृद्धि की भरपाई के लिए जल संसाधन विभाग और कृषि कार्यों की स्वतंत्र संपरीक्षा तथा छह महीने के भीतर तटबंध बनाने का आदेश दिया है जबकि दोषपूर्ण कार्य की मरम्मत के लिए पोंडा में 2.5 करोड़ रुपए और नेउरा में 9.2 करोड़ रुपए की धनराशि दिए जाने के बावजूद किसानों की स्थिति खराब है;

(ग) क्या 60-70% खजन तटबंध खराब स्थिति में हैं और क्या केंद्र का स्लुइस गेटों की मरम्मत, खेतों से गाद निकालने और पारंपरिक जल प्रणालियों को पुनर्जीवित करने के लिए नीति आयोग / एनएमएनए के माध्यम से 10,000 हेक्टेयर का खजन पुनर्वास मिशन शुरू करने का विचार है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(घ) जैव विविधता, बाढ़ नियंत्रण और लवणीय प्रतिरोधी कृषि में वर्तमान खजन पारिस्थितिकी तंत्र की भूमिका का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार उनके संरक्षण को सीआरजेड/तटीय मिशन के वित्तपोषण में एकीकृत करेगी और युवा नेतृत्व वाली सहकारी समितियों और क्षमता निर्माण का समर्थन करेगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री
(श्री जॉर्ज कुरियन)

(क): गोवा सरकार के मात्स्यिकी विभाग ने सूचित किया है कि खजन भूमि और उससे संबंधित प्रबंधन का विषय राज्य के पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन, कृषि और राजस्व विभागों के अंतर्गत आता है और अवैध फिश फार्मिंग से तटबंध टूटने और खजन भूमि में बाढ़ आने जैसी कोई सूचना नहीं मिली है। यह भी सूचित किया जाता है कि खजन बोर्ड के गठन को अधिसूचित करना गोवा सरकार के पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अधिकार क्षेत्र में आता है।

(ख): गोवा सरकार ने सूचित किया है कि कृषि विभाग द्वारा किए गए कार्यों के लिए ऐसी किसी स्वतंत्र ऑडिट का आदेश नहीं दिया गया है और जहां तक पोंडा और नेउरा में खजन तटबंध कार्यों का प्रश्न है, इन कार्यों पर किया गया व्यय स्वीकृत व्यय की सीमा के भीतर है और दोनों बंध वर्तमान में ठीक स्थिति में हैं।

(ग): नीति आयोग ने सूचित किया है कि ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(घ) और (ङ): खजन इकोसिस्टम बायोडायवर्सिटी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और जैसा कि गोवा सरकार ने सूचित किया गया है कि उनका संरक्षण और प्रबंधन राज्य स्तर पर विभिन्न विभागों के अधिकार क्षेत्र में आता है। वर्तमान में उनके संरक्षण को CRZ/कोस्टल मिशन फंडिंग में एकीकृत करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। हालांकि, मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) के तहत, फिश/श्रिम्प फार्मिंग सहित विभिन्न मात्स्यिकी गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह योजना गोवा सहित सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यान्वित की जा रही है। PMMSY के तहत विगत 5 वर्षों के दौरान मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार ने गोवा राज्य में 116.85 करोड़ रुपए की मात्स्यिकी विकास परियोजनाओं को स्वीकृति दी है, जिसमें फिश फार्मिंग की गतिविधियाँ भी शामिल हैं। स्वीकृत गतिविधियों में गोवा राज्य में महत्वपूर्ण रोजगार सृजन, क्षमता निर्माण और मात्स्यिकी एवं जलकृषि का सर्वांगीण विकास शामिल है।

***